संख्या - 7/2016/135/एक-6-2016-15(04)/2016

प्रेषक,

गिरीश चन्द्र ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ0प्र0 लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-6 **लखनऊ दिनांक 12 फरवरी, 2016**

विषय: अनुदान संख्या-52 के लेखाशीर्षक 2052-सचिवालय प्रशासन सामान्य सेवायें-099-राजस्व बोर्ड-03-राजस्व परिषद-44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय के अन्तर्गत बचतो से पुनर्विनियोग द्वारा रू0 8.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4741/14 (बजट)-2052/15-16, दिनांक 25-01-2016 एवं पत्र संख्या-4880/14 (बजट)-2052/15-16, दिनांक 04-02-2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राजस्व परिषद के प्रशिक्षण मद में कुल रू0 8,00,000.00 (रूपये आठ लाख मात्र) की धनराशि बचतों से पुनर्विनियोग (पुनर्विनियोग से संबंधित प्रपत्र बी0एम0-9, भाग-1) के माध्यम से आहरण कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते है :-

1- उक्त व्यय नियमानुसार बजट मैनुअल तथा प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशो में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन किया जायेगा।

2- उक्त धनराशि का उपयोग केवल स्वीकृत मदों के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में ही किया जायेगा। अवशेष की स्थिति में धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

3- मंहगाई भत्ता एक बचनबद्ध मद है। अत: उक्त बचनबद्ध मद में व्यय के मद से होने वाले वित्तीय वर्ष 2015-16 के शेष माह का भुगतान सुनिश्चित कर लिया जायेगा एवं इस हेतु अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

4- उक्त धनराशि अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु स्वीकृत की जा रही है। अत: इससे सम्बन्धित नियुक्ति विभाग के आदेशो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त व्यय अनुदान संख्या-52 के लेखाशीर्षक-2052 सचिवालय प्रशासन सामान्य सेवाये-099-राजस्व बोर्ड -03-राजस्व परिषद-44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासांगिक व्यय में संलग्नक में उल्लिखित मानक मद के सम्मुख उपलब्ध हो रही बचतो से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

संलग्नक- यथोक्त

भवदीय,

(गिरीश चन्द्र)
अनु सचिव।

संख्या- 135(1)/एक-6-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संलग्नक की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद लेखा परीक्षा-1/2
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3- अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त (लेखा), राजस्व परिषद, लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ ।
5- निदेशक वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ
6- वित्त (व्यय- नियन्त्रण) अनुभाग-5
7- वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1/2
8- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(गिरीश चन्द्र)
अनु सचिव।

	फार्म बी0एम0- 9 (भाग -1)		
	पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन		
	बजट मैनुअल का प्रस्तर - 158 देखें		

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशो को भलीभांति देख लिया जाय)					
अनुदान संख्या व नाम- 52, राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय राजस्व विभाग		वित्तीय वर्ष 2015-16			(धनराशि हजार रू0 में)
	निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।	
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन- पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग
1	2	3	4	5	6
लेखाशीर्षक 2052- सचिवालय प्रशासनसमान्य सेवायें-099- राजस्व बोर्ड -03-राजस्व परिषद - 03- मंहगाई भत्ता 2052-00-099-03-00-03	**111998**	**900**	**800**	**800**	**111198**
योग	**111998**	**900**	**800**	**800**	**111198**
निम्नलिखित निधियो में प्रस्तावित संक्रमण				**वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित ।**	
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमित हेतु प्रस्तावित धनराशि (9*8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8*11)
7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
लेखाशीर्षक 2052-सचिवालय प्रशासन सामान्य सेवायें-099- राजस्व बोर्ड-03-राजस्व परिषद					
44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय 2052-00-099-03-00-44	**100**	**900**	**800**	**800**	**900**
योग:-	**100**	**900**	**800**	**800**	**900**

(1) सतम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-
वित्तीय वर्ष 2015-16 में पदो के रिक्त होने के कारण बचत संभावित है।

(2) स्तम्भ -8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ -9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणो से है:-
उक्त मद में प्रविधानित धनराशि परिषद की आवश्यकता से बहुत कम है, अत: परिषद की आवश्यकता के दृष्टिगत पुनर्विनियोग प्रस्ताव प्रेषित किया जा रहा है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर- 154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओ का उल्लंघन नही होता है।

संख्या-आर0ई- 370/- ई- 5-114 दिनांक 12-02-2016

सेवा में, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।

(गिरीश चन्द्र)
अनु सचिव, राजस्व विभाग

(उमा द्विवेदी)
अनु सचिव, वित्त विभाग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 135(2)/एक-6-2016 दिनांक 12 फरवरी, 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 अनुभाग-14 - बजट लखनऊ
2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त (व्यय- नियन्त्रण) अनुभाग- 5
5- वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1 (दो प्रतियों)

(गिरीश चन्द्र)
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।